वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
पटना डेयरी प्रोजेक्ट

पत्रांकः— पी0डी0पी0 : विपणन : 3545 दिनांकः— 07/08/26

निविदा सूचना

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) पटना द्वारा **राज्य सरकार के पटना स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत सुधा होल–डे मिल्क पार्लरों (कियोस्क साईज 6X4 Sq ft) के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।**

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक संघ लि० , (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) पटना , **पटना स्मार्ट सिटी योजना** के अंतर्गत इच्छुक निविदा दाता, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों एवं पात्रता पूरी करते हों, से सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है।

निविदा दाता निविदा प्रपत्र एवं फार्म, निविदा के नियम व शर्तें पटना डेयरी प्रोजेक्ट के वेबसाईट www.patnadairy.org से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा पटना डेयरी प्रोजेक्ट के लेखा शाखा से निविदा पपत्र शुल्क रु0 1000 मात्र नगद भुगतान कर दिनांक 22.08.2026 संध्या 4 बजे तक प्राप्त कर सकते है । जमा कर निविदा निविदा फार्म को खुली निविदा के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पंत्रों एवं निर्धारित शुल्क को संलग्नित करते हुए भरा जायेगा। बन्द लिफाफे के उपर **पटना स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सुधा होल–डे मिल्क पार्लर (कियोस्क) के आवंटन हेतु आवेदन"** के साथ–साथ आवेदक का नाम , पता , मो0 न0 एवं सुधा पार्लर हेतु आवेदित स्थल का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।

वेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता :– दिनांक 08.08.2026 से 22.08..2026।
निविदा फार्म भर कर जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 24.08..2026 अपराह्न 4.00 बजे तक।

निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर बंद लिफाफे में संबंधित दस्तावेजों एवं पंजीकरण शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट को संलग्न करते हुए निबंधित डाक/कुरियर/हाथो–हाथ के माध्यम से निम्न पते पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अवश्य जमा करा दें। निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त हुए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवंटन के उपरान्त भी यदि होल–डे मिल्क पार्लर का निर्माण किन्ही कारणों से संभव नहीं हो पाता है , तो ऐसी दशा में आवेदक को निर्गत आवंटन आदेश रद्द करते हुए उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी ।

प्रबंध निदेषक,
वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक संघ लि०
फीडर बैलेंसिंग डेयरी कॉम्पलेक्स
पो0– फुलवारीशरीफ , पटना – 801505

पटना नगर निगम प्रक्षेत्र में अवस्थित स्थलों की सूची जहाँ के लिए आवेदन आमंत्रित है।

क्रम संख्या	स्थल का नाम	पंजीकरण शुल्क	अग्रधन राशि
1	सादिकपुर , गुलजारबाग नियर रेलवे स्टेशन	रू 1000/–	रू 10000/–
2	कंकड़बाग भागवतनगर चौक	रू 1000/–	रू 10000/–

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

for

Allotment, Commissioning and Operation of Kiosks handed over by PSCL to COMFED

1. Introduction

Patna Smart City Limited (PSCL) is having 200 prefabricated Kiosks of different sizes. These booths shall be handed over to Bihar State Milk Co-operative Federation Limited (COMFED) for placement at strategic locations in coordination with PSCL within Patna Municipal Area with the objective of strengthening urban retail infrastructure along with providing Sudha Milk and Products to consumers from these Kiosks.

In order to ensure transparency, uniformity and accountability in allotment, commissioning and operation of these Kiosks, this Standard Operating Procedure (SOP) is hereby prescribed. The SOP shall govern the responsibilities of COMFED Headquarters, VPMU Patna, Patna Smart City Limited and the selected allottee from the date of allotment till expiry or termination of the licence agreement.

VPMU, Patna shall be the designated nodal implementing dairy on behalf of COMFED and is hereby authorized to undertake all activities relating to the allotment, management and administration of the PSCL kiosks in accordance with the provisions of MoU.

2. Scope

This SOP shall apply to all Kiosks by Patna Smart City Limited and handed over to COMFED for operation. It shall govern the process of allotment of booths, execution of licence agreement, collection of performance security, commissioning of booths, installation of utilities and branding, supply of Sudha products, day-to-day operation, monitoring, inspection, collection of monthly rent and cancellation of allotment. All officers of COMFED Headquarters, Milk Union VPMU Patna and every allottee shall strictly comply with the provisions contained herein.

3. Roles and Responsibilities

a. Manager, Marketing (COMFED, HQ) shall act as the nodal authority for overall implementation of the project and shall issue necessary policy guidelines, monitor the execution and review operational performance from time to time.

b. VPMU, Patna shall be responsible for identification of suitable locations, allottees, execution of licence agreements, maintenance and collection of performance security, creation of retailer code in Distribution Management System (DMS), mapping of distributor, ensuring uninterrupted supply of Sudha products and regular monitoring of booth operations within its jurisdiction.

c. VPMU, Patna shall be responsible for execution of all civil works required for commissioning of the booths including foundation, platform, electrical connection and other allied civil infrastructure necessary for making the booth operational. VPMU, Patna shall also undertake branding of all booths strictly as per the design jointly approved by COMFED and Patna Smart City Limited.

c. The allottee shall operate the booth personally and shall ensure sale of Sudha milk and milk products in accordance with the terms of the licence agreement and directions issued by COMFED from time to time.

4. Procedure for Allotment of Booths

After identifications of suitable locations and NOC received from PSCL for those locations, VPMU, Patna shall float tender for allotment of booths to applicant at those locations with these following terms and conditions.

a. The terms and conditions defined for allotment of Sudha Whole Day Milk Booths constructed under scheme Saat Nischay Part -2 shall also be applicable for allotment of the booths handed over by PSCL except the performance security and Cold Chain assets distribution.

b.

Performance Security Details

S.N.	Kiosk/WDMB Size	Performance Security Amount (Rs.)
1.	24 sq ft	20000/- (Twenty Thousand)
2.	48 sq ft	30000/- (Thirty Thousand)
3.	60 sq ft	40000/- (Forty Thousand)

c. Cold chain (Deep Freezer, Visi Cooler etc.) shall be arranged by allotee.

5. Operations of Whole Day Milk Booth

Immediately after issuing of Letter of Award (LOA) to allottee, Marketing Incharge VPMU, Patna shall ensure creation of retailer code in the Distribution Management System (DMS), map the booth with the concerned distributor, complete geo-tagging of the booth and other information and ensure installation of Deep Freezer, Visi Cooler and other equipment, wherever applicable. Commercial operation of the booth shall commence only after completion of all these formalities.

6. Obligations of the Allottee

a. The Kiosks/Booths shall be operated exclusively for sale of Sudha milk and products.

b. The allottee shall ensure continuous availability of milk and essential dairy products during prescribed business hours and shall maintain proper hygiene, cleanliness and consumer-friendly environment at all times.

c. The allottee shall place daily product indents through the Distribution Management System (DMS). Marketing Incharge shall ensure uninterrupted supply of milk and dairy products through the mapped distributor.

d. The booth shall remain operational throughout the day and shall not remain closed without prior permission of COMFED except under exceptional circumstances.

e. The allottee shall prominently display price lists, licences, consumer grievance contact details and any other information prescribed by COMFED. Digital payment facilities shall be made available for convenience of consumers.

f. The allottee shall maintain the booth, equipment and surrounding premises in good condition and shall immediately report any structural damage or operational issues to VPMU, Patna.

g. The allottee shall obtain and maintain all statutory registrations and licences including FSSAI Licence and shall comply with all applicable laws, municipal regulations and directions issued by competent authorities.

h. The booth shall not be sublet, transferred, assigned or allowed to be operated by any third party without prior written approval of COMFED.

i. No unauthorized structural alteration, modification, extension or advertisement shall be carried out.

j. The allottee shall not use the booth for any purpose other than sale of Sudha milk, milk products and other Sudha non-dairy products. Sale of products of competing brands or any unauthorized commercial activity shall constitute violation of the licence conditions.

7. Monitoring and Inspection

VPMU, Patna shall regularly monitor the functioning of all booths through periodic inspections. The inspecting officer/staff shall verify product availability, hygiene, branding, maintenance of equipment, operational hours, sales performance and compliance with licence conditions. The findings of every inspection shall be recorded, and corrective directions shall be issued wherever necessary.

COMFED Headquarters shall review the operational performance of the booths periodically through reports received from the VPMU, Patna and DMS applications. Special attention shall be given to booths reporting poor sales, repeated consumer complaints or prolonged non-operation.

8. Complaint Redressal

Any grievance or concern shall be reported to the Marketing In-charge, VPMU, who shall make all reasonable efforts to resolve the matter within three working days. If the grievance remains unresolved within the stipulated period, the matter shall be escalated to the Managing Director, VPMU, for appropriate decision and resolution.

9. Penalty and Cancellation of Allotment

If the allottee violates any condition of the Licence Agreement or this SOP, VPMU, Patna may issue a notice requiring the allottee to rectify the deficiency within the stipulated period. In case of failure to comply with the notice or in the event of serious violations such as unauthorized transfer of the booth, subletting, sale of unauthorized products, repeated closure of the booth, non-payment of dues, damage to the property or any activity detrimental to the interest of COMFED, the Competent Authority may impose penalty, forfeit whole or part of the Performance Security, suspend operations or cancel the allotment.

In case of cancellation, VPMU, Patna shall take immediate possession of the booth along with all assets belonging to COMFED.

10. Re-allotment of Booth

Where a booth becomes vacant due to cancellation, surrender or expiry of licence, VPMU, Patna shall immediately report the vacancy to COMFED Headquarters and initiate the process of fresh allotment in accordance with the approved procedure. Before re-allotment, the booth shall be inspected jointly to assess its physical condition and necessary repairs shall be undertaken, wherever required, to restore it to operational condition.

11. Monthly Rent

a. VPMU, Patna shall collect the monthly rent from the allottees, and the realised rent shall be deposited in Escrow Account jointly managed by PSCL and VPMU, Patna.

b. Rent collected shall be apportioned between PSCL and VPMU, Patna in the approved ratio of 70:30. 30% (Thirty percent) shall be retained by VPMU, Patna and 70% (Seventy percent) shall be transferred to PSCL, PSCL shall continue to receive rent share from VPMU, Patna from the collected rent until its cumulative share of the realised rental equals the cost incurred towards the construction of the 200 prefabricated Kiosks/Booths as per MOU.

c. Upon recovery of the said cost, PSCL shall transfer the ownership of the booths to COMFED in accordance with the terms of the Memorandum of Understanding (MoU). Thereafter, PSCL shall cease collecting rent, and COMFED, being the owner of the booths, shall assume full responsibility for collection and retention of the monthly rent from the allottees.

12. Miscellaneous Provisions

The licence granted under this SOP shall not create any ownership, tenancy or leasehold rights in favour of the allottee over the land or structure of the booths. The allottee shall merely be a licensee permitted to operate the booth subject to the terms and conditions prescribed by COMFED.

Any issue not specifically covered under this SOP shall be decided by the Managing Director, COMFED, whose decision shall be final and binding upon all concerned. COMFED reserves the right to amend, modify or issue supplementary instructions to this SOP from time to time in the interest of efficient management and operation of the Booths.

PSCL द्वारा आवंटित कियोस्क के आवंटन, संचालन एवं अनुरक्षण संबंधी नियम एवं शर्तें

1.1 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम चरण में तीन वर्षों की होगी, जिसे संतोषजनक संचालन एवं बिक्री आंकड़ों के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है। संतोषजनक संचालन एवं बिक्री आंकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

1.2 आवंटित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आवंटित पटना डेयरी के कर्मचारी या प्रतिनिधि के रूप में भी स्वयं को प्रदर्शित नहीं करेंगे और इस संबंध में कोई भी दावा नहीं करेंगे।

1.3 आवंटन हेतु पूरी समझदारी के साथ आवेदन करेंगे। आवेदन प्रस्तुत करने के समय यदि प्रस्तुत दस्तावेज / कागजातों में विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो उस स्थिति में आवंटन को रद्द करने एवं सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

1.4 आवंटन को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) के साथ रु० 1000/- के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा। इसके उपरांत कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

1.5 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (पटना डेयरी प्रोजेक्ट) द्वारा चयनित आवेदक को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

1.6 आवेदनों के स्क्रूटनी का निर्धारण जिसमें आवेदकों के लिए नियम शर्तें तथा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य निविदा की प्रक्रिया अनुसार पूरा करने का कार्य वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के स्तर से किया जायेगा। स्क्रूटनी किये गये आवेदनों को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक द्वारा गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों में संघ के प्रभारी लेखा, विपणन प्रभारी एवं कोई एक वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे। उच्च स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर आवंटन के अंतिम निर्णय लेने हेतु प्रबंध निदेशक, वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना अधिकृत होंगे।

1.7 समिति के अन्य सदस्यों में जिला पशु पदाधिकारी या उनके नामित प्रतिनिधि तथा कॉम्फेड के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

2.0 चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रण :-

2.1 सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना डेयरी की वेबसाइट **www.patnadairy.org** पर उपलब्ध होगी एवं सूचना का प्रकाशन वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा।

2.2 सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र Offline द्वारा निविदा दो बोली प्रणाली (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) माध्यम से किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल उम्मीदवार की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। संचालन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत एवं संचालन कार्य आवंटन हेतु उपयुक्त आवेदक चयन किया जायेगा। आवेदन पत्र की सम्पूर्ण जानकारी, निविदा शर्तें एवं नियम इस निविदा में तथा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना की वेबसाइट **www.patnadairy.org** पर भी दी गयी है। आवेदक से अपेक्षा है कि निविदा पत्र भरने से पूर्व इन सभी निविदा नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

2.3 आवेदक तकनीकी निविदा (खंड-I) के फॉर्म को भर कर उसमें मांगी गयी जानकारियों का ब्यौरा एवं संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को संलग्न करेंगे। तकनीकी निविदा को एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-1) में सील बंद करेंगे। लिफाफा-1 के ऊपर "तकनीकी निविदा" अवश्य लिखेंगे।

वित्तीय निविदा (खंड-II) को भी एक पृथक लिफाफा (लिफाफा-2) में आवेदक अपनी वित्तीय दर सम्पूर्ण कर सील बंद स्थिति में संलग्न करेंगे। लिफाफा-2 के ऊपर "वित्तीय निविदा" अवश्य लिखेंगे।

उपरोक्त दोनों बंद लिफाफा (लिफाफा-1 एवं लिफाफा-2) को एक अन्य लिफाफा (लिफाफा-3) में डालकर उसे सील बंद करेंगे।

आवेदक अपने सभी तीनों लिफाफा पर के अंतर्गत पटना नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन" एवं "आवेदित स्थल को नाम" के साथ-साथ आवेदक अपना नाम, पता व मोबाइल/दूरभाष नंबर अवश्य लिखेंगे।

2.4 निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त हुई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2.5 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों की जांच वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के द्वारा निर्धारित तिथि को की जायेगी।

2.6 पारदर्शिता बनाये रखने हेतु निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के समिति पदाधिकारियों या प्रतिनिधि को दिखाना होगा।

2.7 आवेदनों की जांच के उपरांत एक से अधिक पात्र उम्मीदवारों के द्वारा समान प्रस्ताव पाये जाने की स्थिति में समान प्रस्ताव देने वाले उम्मीदवारों के बीच लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

2.8 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना एवं अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की प्रक्रिया वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी

संघ लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा। चयनित आवेदक को कार्यादेश *Letter of Award (LOA)* आवेदक के पते पर एक प्रति निबंधित डाक के माध्यम से भेजी जायेगी।

2.9 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अथवा तकनीकी कारणों से आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तो शेष बचे सभी पात्र आवेदकों में से ही अधिकतम दर प्रस्तावित करने वाले को चयनित किया जायेगा। चयन के उपरांत यदि चयनित आवेदक के द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है, तो ऐसी दशा में दूसरा सबसे अधिक दर प्रस्तावित करने वाले निविदा दाता को प्रथम वरीयता दी जायेगी। तदुपरांत प्राप्त होने के उपरांत ही उक्त आवंटन हेतु आवश्यक प्रक्रिया की जायेगी।

यदि दूसरा निविदादाता द्वारा भी प्रथम स्थान से अधिक दर प्रस्तावित किये जाने पर कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में तीसरे सबसे अधिक दर प्रस्तावित करने वाले निविदा दाता को प्रथम स्थान पर कार्य करने की सहमति प्राप्त की जायेगी। तदुपरांत प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।

<u>सबसे अधिक दर प्रस्तावित करने वाले सफल निविदा दाता द्वारा कार्य करने से मना करने की दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रिम की राशि जब्त कर ली जायेगी।</u>

2.10 चयनित सफल उम्मीदवार / निविदा दाता को आधिकारिक पत्र *Letter of Award (LOA)* निर्गत किया जायेगा। आधिकारिक पत्र *Letter of Award (LOA)* के निर्गत होने के पश्चात् उसे एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना में जमा करना होगा।

2.11 आवेदकों द्वारा सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट (जमानत) के रूप में वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।

उपरोक्त सभी दस्तावेजों के जमा होने के पश्चात् आधिकारिक *Letter of Award (LOA)* कार्यादेश के रूप में परिवर्तित हो जायेगा।

2.12 यदि कोई चयनित उम्मीदवार को आधिकारिक पत्र *Letter of Award (LOA)* निर्गत किया जाता है एवं आवेदक *Letter of Award (LOA)* प्राप्ति के पश्चात् उनके द्वारा कार्य करने से मना कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गयी अग्रिम सुरक्षा राशि रु० 10,000.00 (दस हजार) जब्त कर ली जायेगी।

2.13 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा अनुबंध के तहत अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा होल-से-मिल्क पार्लर का आवंटन किया जायेगा। संतोषजनक संचालन एवं बिक्री आंकड़ों के आधार पर आवंटन प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है।

2.14 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संदर्भ में प्रस्तुत/दस्तावेजों के विरुद्ध कोई विसंगतियाँ पायी जाती हैं तो उस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

3.0 पात्रता मानदंड :–

3.1 शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम साक्षर (प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

3.2 आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। (आवेदक सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो, की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)।

3.3 उम्र – निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम 21 वर्ष।

3.4 आधार कार्ड संख्या : ....

(पहचान के प्रमाण की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

3.5 आवेदक को "स्व घोषणा प्रमाण पत्र" संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि –

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ / है अथवा नहीं।
2. (क) मैं या मेरे परिवार का कोई सगा सदस्य (माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री) बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, पटना एवं पटना डेयरी में कार्यरत है / है अथवा नहीं।

   (ख) यदि 2 (क) का उत्तर हाँ है, तो निम्न ब्यौरा सहित स्वघोषणा पत्र संलग्न करें।

   मैं (आवेदक का नाम) ....
   स्वघोषित करता / करती हूँ कि श्री / श्रीमती / श्रीमान (कार्यरत कर्मी का नाम)
   ....
   (संघ / इकाई का नाम) .... के
   (पदनाम) .... के पद पर
   (पदस्थापन का स्थान) .... में कार्यरत है एवं मेरे (आवेदक के साथ संबंध) .... है।

(उदाहरणार्थ:– मैं प्रवीण कुमार सिंह, स्वघोषित करता हूँ कि श्री / श्रीमती / श्रीमान रणवीर कुमार सिंह जो तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, मुजफ्फरपुर में लेखाकार के पद पर संलग्न हैं, मेरे पिता हैं।)

ऐसे आवेदक, (1) जिनके स्वयं या उनके परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में होल-डे -मिल्क पार्लर आवंटित है, उन्हें अथवा उनके परिवार के सदस्यों को एवं (2) कॉम्फेड या सम्बन्धित दुग्ध संघ / डेयरी में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को इस योजना के अंतर्गत सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर का आवंटन नहीं किया जायेगा।

(स्वघोषणा पत्र आवेदन के साथ संलग्न है।)

3.6 रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं आवेदन राशि – आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क (गैर वापसी योग्य) सभी वर्गों के लिए रु० 1000.00 (एक हजार) एवं आवेदन की राशि रु० 10,000.00 (दस हजार) निर्धारित है। आवेदक द्वारा पंजीकरण शुल्क एवं आवेदन राशि के रूप में अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगा। आवेदक के साथ पंजीकरण शुल्क एवं आवेदन राशि संलग्न नहीं करने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.7 आवेदक द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि एवं आवेदन राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के नाम से उनके द्वारा जारी किये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतान योग्य हो, संलग्न करें।

3.8 वित्तीय योग्यता – (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम पूंजी रु० 1,00,000/- होनी चाहिए। आवेदक के पास जमा हो, तथा फिक्स्ड डिपॉजिट, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रु० 1,00,000/- जमा रहने का प्रमाण (पासबुक) की छाया प्रति संलग्न करें। आवेदक का नाम, पता, खाता सं० दर्ज हो तथा प्रमाण किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत कैश सर्टिफिकेट के रूप में संलग्न हो, की छाया प्रति संलग्न करें।)

3.9 आवेदक को शारीरिक रूप से सक्षम होना आवश्यक है। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा माँगे जाने पर आवेदक को किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सीय प्रमाण पत्र छाया प्रति में जमा करना होगा।

3.10 असफल निविदा दाता को आवेदन की राशि रु० 10,000/- वापस कर दी जायेगी जिस पर किसी तरह का ब्याज देय नहीं होगा।

3.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा राशि रु० 10,000/- (दस हजार रुपये) डिमांड ड्राफ्ट (वापसी योग्य) के रूप में जमा करना होगा। सुरक्षा राशि (आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी राशि रु० 10,000.00 (दस हजार) को समायोजित किया जायेगा।)

3.12 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा राशि (वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। अधिकतम रूप से चयनित आवेदक (आवंटी) द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी आवेदन की राशि रु० 10,000.00 (दस हजार) को समायोजित कर शेष जमा करना होगा। सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.13 चयन के पश्चात् सफल आवंटी को एक माह के भीतर जीएसटी एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करनी होगी।

3.14 पात्रता मानदंड के तहत बिंदु सं० 3.1 से 3.13 तक वर्णित सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पूरा करना होगा। मानदंड शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदक को अस्वीकृत घोषित करते हुए उनका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर के आवंटन की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.15 तकनीकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता की वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा एवं उनकी वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।

4.0 शुल्क भुगतान एवं अन्य शर्तें :-

4.1 आवंटी / संचालक को *Letter of Award (LOA)* के निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति संघ में जमा करना होगा।

4.2 आवंटी / संचालक को निविदा में उल्लिखित देय आवर्ती / मासिक किराया / दर प्रत्येक माह के पांच तारीख को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को भुगतान करना होगा। निर्धारित मासिक आवर्ती शुल्क में प्रत्येक तीन माह के उपरांत 10% वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कर/शुल्क यदि लागू हों तो आवंटी / संचालक को वहन करना होगा।

4.3 आवंटी / संचालक को बिजली बिल, पानी शुल्क तथा अन्य उपयोगिता खर्च भुगतान कर उसकी प्रति प्रत्येक माह के अंतिम तिथि के पूर्व वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार की देरी पर संघ द्वारा प्रति माह के आधार पर निर्धारित दंड वसूला जायेगा। बिजली व पानी आदि आधारभूत सुविधाएं आवंटी के स्वयं के नाम पर लेना आवश्यक होगा।

4.4 आवंटी / संचालक को सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर के अंदर उपलब्ध सामग्री के साथ सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का बीमा कराना होगा तथा बीमा कराने के पश्चात निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा का प्रमाण संबंधित वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

4.5 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर आवंटी / संचालक द्वारा अधिकृत डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.0 सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का समापन :-

5.1 आवंटित सुधा होल-डे मिल्क पार्लर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल प्रारंभ होने की गणना एकरारनामा के तिथि से की जायेगी। प्रदर्शन के आधार पर आवंटी कार्यकाल प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए

बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अंदर आवंटी द्वारा संचालन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो एकरारनामा निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर किसी अन्य पात्र को आवंटित कर दिया जायेगा।

5.2 यदि आवंटी / संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जालसाजी अथवा धोखाधड़ी के तथ्य के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए अनुबंध / एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है :-

(क) आवंटी / संचालक का बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर।
(ख) यदि आवंटी / संचालक द्वारा सुधा के अतिरिक्त किसी पर्तिद्वंदी ब्रांड का उत्पाद की बिक्री मिल्क पार्लर से की जाती है।
(ग) यदि आवंटी / संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।
(घ) यदि आवंटी / संचालक द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के ढांचे में बिना सूचना एवं सहमती के किसी प्रकार की बदलाव किया जाता है|
(ङ) यदि आवंटी / संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (M.R.P.) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया जाता है।
(च) यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा आवंटित सुधा होल-डे - मिल्क पार्लर आवंटी / संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

5.3 वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को आवंटी / संचालक के साथ समझौते को नोटिस अवधि दिये बिना तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को यह ज्ञात हो कि आवंटी / संचालक द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को सूचित किये बिना कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना की छवि खराब हो रही है।

5.4 आवंटी / संचालक द्वारा सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर को बंद करने की स्थिति में आवंटी / संचालक को वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

5.5 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के मध्य की पूर्व की प्रक्रिया के तहत की जायेगी।

5.6 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर को संचालक / आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रति दिन 100 रु० (एक सौ रुपये) की दंडात्मक राशि भुगतान करने हेतु आवंटी / संचालक उत्तरदायी होगा। दंडात्मक किराये की गणना सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर के अनधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

5.7 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, फर्नीचर, साइनबोर्ड और फिटिंग आदि के साथ सुधा होल-डे -मिल्क पार्लर को मूल स्थिति में हस्तांतरित और रखरखाव के नियमों के अनुसार वैशाल पाटलिपुत्र

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना कार्यालय या नामित संघ को आवंटी / संचालक अपने खर्च पर सुपुर्द करेगा। इस पर वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के प्रतिनिधि एवं आवंटी के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

5.8 आवंटन समाप्ति की दशा में पुराने आवंटी / संचालक के प्रतिस्थापन के रूप में नये आवंटी / संचालक के द्वारा पूर्व आवंटी का मिलान एवं सुधा होल-डे मिल्क पार्लर में किया गया संशोधन का समायोजन किया जायेगा। वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी / संचालक से उसकी क्षतिपूर्ति की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

6. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) :

(क) अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना को वस्तु स्थिति की लिखित जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना द्वारा सुधा होल-डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु दिये गये कार्यादेश हेतु एकरारनामा के आलोक में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक किया गया निर्णय लिया जा सकेगा।

(ख) इस धारा / उपधारा / खंड "अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)" को शामिल करने का उद्देश्य ऐसी घटनाओं में सुधा होल-डे मिल्क पार्लर के संचालन से संबंधित आवंटी / संचालक या वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, पटना के नियंत्रण से बाहर एवं उनकी गलती शामिल नहीं हो। उदाहरण : बाढ़, आपदा, दंगे, आग, युद्ध, महामारी अथवा प्रशासन के आदेश या घोषणा के अनुपालन या ऐसी परिस्थितियों से उत्पन्न स्थिति पक्षों के नियंत्रण में न हो, को शामिल करना है।

7. किसी भी विवाद की स्थिति में संविदा की सभी शर्तें तथा आपस में बातचीत के माध्यम से निपटारा किया जायेगा। विवादों का समाधान नहीं होने की दशा में विवाद के निपटारे हेतु *Arbitration-1996 (Arbitration & Conciliation Act-1996)* में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। सभी मामलों की दशा में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।

खंड –I

तकनीकी निविदा

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

आवेदक द्वारा ऑफ लाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए

कियोस्क साईज 6X4 (24 Sq ft)

01. जिला का नाम ....

02. आवेदित स्थल का नाम : ....

(कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है ।)

03. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में : ....

04. आवेदक का पता

क वर्तमान पता : ....

....

ख स्थायी पता : ....

....

(कृपया क्रम सं0 क एवं ख में उल्लेखित पते से संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

05. मोबाईल नं0 : .... ई–मेल : ....

06. आवेदक का आधार कार्ड संख्या : ....

(कृपया आधार कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

07. पैन कार्ड नम्बर : ....

(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

08. स्थायी निवास प्रमाण पत्र : ....

(आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है । आवेदक बिहार सरकार द्वारा निर्गत कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक का बिहार राज्य का स्थायी निवासी होने का प्रमाण हो , की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

09. शैक्षणिक योग्यता

(कृपया प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)

10. उम्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्युनतम–21 वर्ष :.......................................

(कृपया जन्म प्रमाण पत्र कोई अन्य दस्तावेज या दसवी पास स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें जिसमें जन्म उल्लेखित है ।)

11. उम्र स्व घोषना प्रमाण पत्र : ....
(आवेदक द्वारा संलग्नित स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।)

12. क्या आवेदक स्वस्थ्य है । हॉ / नहीं
(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावे ।)
(वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पटना द्वारा मॉग किये जाने पर आवेदक द्वारा किसी पंजीकृत चिकित्सक के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न करना होगा ।)

13. निविदा में आमंत्रण हेतु निबंधन शुल्क एवं अग्रधन राशि : ....
(आवेदककर्ता निर्धारित रजिस्टेशन फी रु0 1000.00 एवं अग्रधन रु0 10000.00 का डिमांड ड्राफ्ट जो अलग अलग हो एवं वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 पटना के नाम या उनके द्वारा बताये गये नाम पर निर्गत एवं भुगतेय हो , संलग्नित करें ।)

14. व्यवसाय हेतु कार्यशील पूँजी की उपलब्धता : ....
(व्यवसाय हेतु न्युनतम कार्यशील पूँजी रु0 20000.00 होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रुप में दर्शित हो , का छाया प्रति संलग्नित करें ।)
नोट : –

- सुधा मिल्क पार्लर हेतु आवेदन करने से पहले निविदा दाता / आवेदक निविदा दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ , समझ लें ।
- कम संख्या 1 से 14 तक अनिवार्य सभी शर्तो को पूरा करना होगा । अगले दौरा की चयन प्रकिया हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए आवश्यक जानकारी ठीक से भरें तथा उल्लेखित आवश्यक दस्तावेज को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करेगें ।
- सफल उम्मीदवारो को कार्य के आवंटन से पहले **FSSAI License** प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा ।
- तकनिकी निविदा में अयोग्य पाये गये निविदा दाता का वितीय निविदा पर विचार नही किया जायेगा एवं वितीय निविदा नहीं खोला जायेगा ।

<u>स्व प्रमाणित घोषणा पत्र</u>

मैं एतद करता हुँ / करती हूँ कि निविदा प्रपत्र एवं दस्तावेज में दी गयी जानकारी मेरे व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में पूर्णतया सत्य है इसमें कुछ भी छिपाया गया नहीं है । मैं इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हूँ कि यदि मेरें द्वारा दी गयी जानकारी किसी भी समय मिथ्या /गलत पाया जाता है तो मेरे द्वारा दिये गये निविदा आवेदन को रद्द माना जायेगा । मेरे द्वारा दी गयी सभी सूचनाओं एवं दस्तावेजों को मूल के साथ सत्यापित किया जा सकता है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी होऊॅगा / होऊॅगी ।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक ....
स्थान ....

खंड – II

वित्तिय निविदा

सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र

आवेदक द्वारा ऑफ लाईन माध्यम से पूर्ण विवरणी के साथ भरा जाना चाहिए

कियोस्क साईज 6X4 (24 Sq ft)

1. जिला का नाम ....

2. आवेदित स्थल का नाम : ....

   (कृपया उस आवेदित स्थल का नाम लिखें जिस स्थान के होल–डे मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन दिया जा रहा है ।)

3. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में : ....

4. सुधा होल – डे पार्लर आवंटन हेतु समर्पित किये जाने वाले दर रु0 (प्रति माह)

   अंको में ....

   शब्दों में ....

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....

स्व घोषणा प्रमाण पत्र

1. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का आवंटी हूँ/है अथवा नहीं ।

हॉ / नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

2. मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य माता , पिता , पत्नी , पुत्र , पुत्री बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 , पटना या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ / इकाई में कार्यरत हूँ/है अथवा नहीं ।

हॉ / नहीं

(कृपया उपयुक्त में सही ✓ का निशान लगावें)

यदि 2 का उत्तर हॉ है , तो निम्न ब्योरा भरें ।

मैं (आवेदक का नाम) ....
स्वघोषित करता हूँ कि श्री/सुश्री/श्रीमति (कार्यरतकर्मी का नाम) ....

(संघ/ इकाई का नाम) .... के (पदनाम) .... के पद पर (पदस्थापन का स्थान) .... में कार्यरम है, एवं मेरें (आवेदक के साथ संबंध) ....है ।

निविदा दाता का हस्ताक्षर

दिनांक ....

स्थान ....